

छत्तीसगढ़ विधान सभा
अधिसूचना
रायपुर, दिनांक 27 मार्च, 2010 (चैत्र 6, 1932)

क्रमांक - 4134/विधान/2010-राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश, दिनांक 26 मार्च, 2010 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :-

“भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हूँ, मैं, शेखर दत्त, राज्यपाल, छत्तीसगढ़, एतद्वारा छत्तीसगढ़ की तृतीय विधान सभा के तृतीय मंत्र, का मन्त्रावसान तात्कालिक प्रभाव से करता हूँ।

स्थान : रायपुर
दिनांक : 26 मार्च, 2010

शेखर दत्त
राज्यपाल, छत्तीसगढ़”

हस्ता / -
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

क्रमांक - 4135/विधान/2010

रायपुर-492005 दिनांक 27 मार्च, 2010

प्रतिनिधि सूचनार्थ देविता है :-

1. समस्त माननीय सदस्य, छत्तीसगढ़ विधान सभा.
2. समस्त माननीय सांसद, छत्तीसगढ़.
3. छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव, समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिव, रायपुर.
4. महासचिव राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर.
5. समस्त मंत्रियों/संसदीय सचिवों के निज सचिव.
6. महालेखाकार (नेसापरीक्षा) / महालेखाकार (नेसा एवं हजदारी), छत्तीसगढ़, रायपुर.
7. मुख्य निर्वाचन पराधिकारी, छत्तीसगढ़.
8. महाधिससज, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर.
9. समस्त आयुक्त/समस्त जिलाधीश, छत्तीसगढ़.
10. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़.
11. छत्तीसगढ़ शासन सचिवालय के समस्त विभाग, रायपुर.
12. कार्यपालन अभियंता, (भवन तथा सड़क) एवं (विद्युत यांत्रिकी) लोक निर्माण विभाग, विधान सभा मंत्रालय, रायपुर.
13. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, रायपुर.
14. केन्द्र निदेशक, दूरदर्शन, रायपुर.
15. आयुक्त/संचालक जनसम्पर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर.
16. महासचिव, लोक सभा, नई दिल्ली.
17. महासचिव, राज्य सभा, नई दिल्ली.
18. भारत के समस्त विधान मंडलों के प्रमुख सचिव/सचिव.
19. सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अलोक रोड, नई दिल्ली-110001.
20. सचिव, भारत सरकार, विधि मंत्रालय, नई दिल्ली.
21. सचिव, भारत सरकार, संसदीय कार्य विभाग, 90 संसद भवन, नई दिल्ली.
22. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.
23. स्थायी सचिव, भारतीय जनता पार्टी/भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस/बहुजन समाज पार्टी, रायपुर.
24. छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय की समस्त शाखाएँ.



(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.